सं०सं०–1/ना०में०का०–04/2012–.....12(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक :

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
नालन्दा मेडिकल कॉलेज,
पटना।

पटना, दिनांक– 25/ 04 /2012

विषयः–नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना को विपत्र कोड– N 2210051050005 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 17,57,63,400/– (सतरह करोड़ सनतावन लाख तिरसठ हजार चार सौ रूपये) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत नालन्दा मेडिकल कॉलेज, को विपत्र कोड एन 2210051050005 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० **17,57,63,400/–** (सतरह करोड़ सनतावन लाख तिरसठ हजार चार सौ रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/ वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0005–नालन्दा मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड–एन 2210051050005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्राचार्य बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

7. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

25/4/2012

क्रमशः

8. इस आवंटनादेश में मशीन एवं उपकरण ईकाई में 5,00,000/–(पाँच लाख) रूपए की राशि भी समाहित है जो मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव के लिए दिया जा रहा है।

9. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/ अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/ना०में०का०–04/2012–.....12.....(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक– 25/04/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

17/4/12

नालंदा मेडिकल कॉलेज विपत्र कोड एन 2210051050005 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि का आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	आवंटित राशि	शेष राशि
01 01 वेतन	90822000	81739800	9082200
01 02 विशेष वेतन	17000	15300	1700
01 03 जीवन यापन भत्ता	60851000	54765900	6085100
01 04 मकान किराया भत्ता	18099000	16289100	1809900
01 05 परिवहन भत्ता	2320000	2088000	232000
01 06 चिकित्सा भत्ता	467000	420300	46700
01 07 अन्य भत्ता	50000	45000	5000
योग– वेतन एवं भत्ते	**172626000**	**155363400**	**17262600**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	500000	0
11 01 यात्रा व्यय	200000	100000	100000
13 01 कार्यालय व्यय	2200000	1100000	1100000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	400000	200000	200000
13 03 दूरभाष	200000	100000	100000
13 04 विद्युत प्रभार	5000000	2500000	2500000
13 05 विधि प्रभार	100000	50000	50000
13 06 वर्दी/पोशाक	200000	100000	100000
14 01 किराया महसूल एवं कर	800000	400000	400000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	200000	100000	100000
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	100000	50000	50000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	400000	200000	200000
21 02 दवा भण्डार	1500000	750000	750000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	30000000	0	30000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	5000000	2500000	2500000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	22500000	11250000	11250000
50 01 अन्य प्रभार	0	0	0
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	10000000	500000	9500000
कुल योग :–	**251926000**	**175763400**	**76162600**

(सतरह करोड़ सनतावन लाख तिरसठ हजार चार सौ रूपये) मात्र

12(1) ब०
25-4-12

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

17/4/12